कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

निविदा सं0 152 राँची, दिनांक 20.1.2021

अति–अल्पकालीन निविदा

जिला अन्तर्गत सभी जिला यक्ष्मा राँची , ब्लड बैंक, राँची एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उपचार सामग्री,दवादि एवं केमिकल ईत्यादि का क्रय करने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठानों/अधिकृत विक्रेता से बंद लिफाफा में Two Bid System के अन्तर्गत (एक लिफाफा में तकनिकी भाग एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय भाग दोनो भाग को एक लिफाफा में बंद कर समर्पित करेगें) निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा की शर्तें वांछित कागजात तथा सामग्रियों एवं केमिकल से संबंधित विवरणी सिविल सर्जन कार्यालय, राँची से कार्यालय अवधि में एवं ranchi.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरणी दिनांक 23.1.2021 से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि : – 4/02/2021 के अपराह्न 5.00 बजे तक
2. निविदा सर्मपित करने का स्थान एवं पता :– सिविल सर्जन कार्यालय, राँची।
3. निविदा खुलने की तिथि : 5/02/2021 के अपराह्न 3.00 बजे।
4. निविदा खुलने का स्थान : सिविल सर्जन कार्यालय प्रकोष्ठ।

निविदा निबंधित डाक अथवा हाथों–हाथ समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तकनीकी भाग वाले लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी भाग, मूल्य भाग वाले लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में मूल्य भाग अंकित रहना चाहिए।

उक्त अंकित निहित समय तथा तिथि पर निविदा समिति द्वारा तकनीकी भाग खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् ही सफल निविदादाताओं का मूल्य भाग खोला जाएगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।
21.1.21

(A) **तकनिकी भाग में निविदा हेतु आवश्यक कागजात संलग्न करना अनिवार्य है** :–

(i) GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(ii) GST Return – Month Dec 2020 Xerox copy (iii) Pan Card की छायाप्रति ।
(iii) ड्रग लाइसेन्स की छायाप्रति।
(iv) वितीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का Audited Turnover (Balance Sheet, Loss & Profit and Turnover CA Certificate) की छायाप्रति। प्रत्येक वितीय वर्ष में 1,00,00,000/– रू0 का Turnover होना आवश्यक है अर्थात वितीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का।
(v) वितीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर प्रमाण पत्र।
(vi) झारखण्ड राज्य के लघु उद्योग एवं सरकारी प्रतिष्ठान को छोड़कर अग्रधन के रूप में 50,000/– (पचास हजार) रू0 का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट (Refundable) एवं 5000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट

Scanned with CamScanner

(Non Refundable) Processing Fee के रूप में CS cum CMO, Ranchi के पदनाम से देय होगा , जो निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

(vii) निविदादाता को इस आशय का निम्नलिखित शपथ पत्र स्व. लिखित मूल प्रति में देना आवश्यक है :– प्रतिष्ठान/कंपनी/फर्म/निविदादाता किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में काली सूची में दर्ज नहीं है। प्रतिष्ठिान/कंपनी/फार्म/निविदादाता के विरूद्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं है। निविदा के साथ संलग्न सभी कागज सत्य एवं सही है। साथ ही साथ इस आश्य का प्रमाण पत्र देगें कि निविदा में अंकित दर एम0आर0पी0 दर से अधिक नहीं है। इस सन्दर्भ में स्व लिखित शपथ पत्र देना होगा।

(B) वितीय निविदा :– इस लिफाफे के अंदर क्रमानुसार तथा केटेगरीवार उपचार सामग्री, दवादि, केमिकल आदि का नाम Pack/Specification/ निर्माता कंपनी का नाम/कर सहित दर उल्लेख कर जमा करना होगा। जैसे :–

Sl	Name of Items	Specification (If any)	Name of Company	Unit Rate	Amount (सभी कर सहित)	Remarks
1	Paracetamot 500 Tab					
2	PCM Syrup					

1. तकनिकी एवं वितीय निविदा का लिफाफा बंद होना चाहिये। लिफाफा के उपर तकनिकी BID तथा वितीय BID अंकित कर इसे एक अन्य बंद लिफाफे के अंदर डालना होगा।
2. अंकित दर में परिवहन अधिष्ठापन चार्ज सम्मिलित होगा। इसके लिये अलग से राशि देय नहीं होगा।
3. कार्यादेश के अनुरूप निविदादाता को उपचार सामग्री एवं इत्यादि आदेशित संस्थानों तक पहुंचाना होगा।
4. समिति द्वारा प्रथमतः तकनिकी निविदा खोली जायेगी तथा सभी दृष्टिकोण (निविदा शर्त) से संतुष्ट होने के उपरांत ही वितीय निविदा खोली जायेगी।
5. इस निविदा का न्यायालय क्षेत्र, राँची होगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को होगा।
7. निविदादाता को निविदा खोलने की तिथि को स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति का उपस्थित रह सकते है।
8. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व या पष्चात यदि विभाग से कोई दिषा–निर्देष प्राप्त होगा तो उसे लागू करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।
9. आपूर्ति आदेष की तिथि से 15 दिनों के अंदर सामग्री इत्यादि की आपूर्ति करनी होगी।
10. सभी सामग्री का आपूर्ति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही करना होगा।
11. आपूर्ति किये जाने वाले उपचार सामग्री इत्यादि के गुण्वता में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर आपूर्तित सामग्री इत्यादि को वापस लेना होगा।
12. निविदादाता सूची संलग्न प्रमाण पत्रों का स्वयं अभिप्रमाणित करेगें।
13. निविदा के वितीय भाग के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये या अगले निविदा अनुमोदित होने तक मान्य होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

21·1·21

152
20·1·21

Scanned with CamScanner